

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(9)एमई/ग्रुप-1/2008

जयपुर, दिनांक 16/8/17

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.06.2017 द्वारा नवनियुक्त निम्नलिखित वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी को उसके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या- 4 में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदस्थापन स्थान	मेरिट क्रमांक	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ० नेहा शर्मा मेडिकल कॉलेज, अजमेर	2	दिनांक 31.08.2017 तक

उक्त चिकित्सक शिक्षक को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों।


आज्ञा से,


(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव